कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रोजगार अधिसूचना संख्या सीओ/पी-आर/04/2025
ट्रैक मेंटेनर-IV और पॉइंट्स मैन (पूर्व ग्रुप “डी”) पद के लिए भर्ती

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्स मैन (पूर्व ग्रुप "डी") पद के लिए भर्ती

रोजगार अधिसूचना संख्या	सीओ/पी-आर/**04/2025**
रोजगार अधिसूचना दिनांक	**04/07/2025**
ऑनलाइन आवेदन खुली होने के तिथि	**23/07/2025**
परिक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि	**12/08/2025 (23:55** घंटे**)**

1. अनुदेश :

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग विभागों में ट्रैक मेंटेनर-IV और पॉइंट्स मैन के तत्कालिन ग्रुप डी पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आंमत्रित किए जाते हैं। केवल भूमिअधिग्रहित उम्मीदवार, अर्थात वे उम्मीदवार जिनकी भूमि कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। (भूमि अधिग्रहण का प्रतिशत कुछ भी हो), ऐसे व्यक्ति स्वयं, उनके पति या पत्नी, बेटा, बेटी, पोता, पोती ही भूमिअधिग्रहित हो सकते हैं।

अनु क्र.	विभाग	पद का नाम	चिकित्सा श्रेणी	यू आर	ईडब्ल्यू एस	एस सी	एस टी	कुल	एक्स एस एम्
2	सिविल इंजीनियरिंग	ट्रैक मेंटेनर-IV	A-3	23	4	5	3	35	7
4	औपरेटिंग	पॉइंट्स मैन	A-2	29	6	7	2	44	9

नोट: उपरोक्त रिक्तियों में प्रत्याशित (anticipated) रिक्तियां शामिल हैं।

ऊपर दर्शाए गए पदों की संख्या अनंतिम है और कोंकण रेलवे की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तदनुसार, कोंकण रेलवे अपनी वेबसाइट पर फिर से अद्यतन रिक्तियाँ प्रकाशित करेगी, जिसमें संशोधित रिक्तियों, यदि कोई हो, तो दर्शायी जाएगी।

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लंबवत (vertical) आरक्षण और पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज (horizontal) आरक्षण प्रदान करती है।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

यदि भूतपूर्व सैनिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियो की भर्ती नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में रिक्त पदों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना पूर्व-सैनिकों के लिए उनके समुदाय को ध्यान में न लेते हुए, जहां भी लागू एवं स्वीकार्य हो, क्षैतिज (horizontal) आरक्षण प्रदान करती है।

2. वेतनमान

अनु क्र.	पद का नाम	**7** वें सीपीसी में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (रु)
1	पॉइंट्स मैन	लेवल –1	18000
2	ट्रैक मेंटेनर - IV	लेवल –1	18000

3. इस अधिसूचना में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

सामान्य	सीबीटी : कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीडीए : केंद्रीय महंगाई भत्ता डीवी : दस्तावेज़ सत्यापन एलटीआई : बाएं अंगूठे का निशान, पीएसयू : सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीईटी : शारीरिक क्षमता चाचणी एमई : मेडिकल परीक्षा पीएमएल : वेतन मैट्रिक्स स्तर
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	ईडब्ल्यूएस : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईबीसी : आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एक्सएसएम : भूतपूर्व सैनिक ओबीसी-सीएल : अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमी लेयर ओबीसी-एनसीएल : अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर एससी : अनुसूचित जाति एसटी : अनुसूचित जनजाति यूआर : अनारक्षित (सामान्य) एसएलएओ : विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी आरटीसी : अधिकार, हस्तांतरण और फसलों का भूमि रिकॉर्ड
संस्थाएं / परिषद /प्रमाण पत्र	केआरसीएल : कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एनओसी : अनापत्ति प्रमाण पत्र।

4.1 पात्रता मापदंड - आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष.

सभी अधिसूचित पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा मानक है। अधिकतम आयु सीमा को एक बार अपवाद के रूप में 33 से बढ़ाकर 45 कर दिया गया है, ताकि कई भूमिहीन उम्मीदवारों को राहत मिल सके, जिनकी आयु सीमा पार हो गई है। आयु की गणना 01/08/2025 के अनुसार की जाएगी।

4.2 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट डीवी के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन लागू है। उपयुक्त में दर्शाए गए के अनुसार, आयु में बारह वर्ष की छूट दी जाएगी ।

अनु क्र.	समुदाय / श्रेणी		अधिकतम आयु में छूट	अधिकतम आयु
1	एससी और एसटी उम्मीदवार		5 साल	50 साल
2	सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा वाले पूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (यूआर और ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष *	48 साल
		भूतपूर्व सैनिक (एससी और एसटी)	8 वर्ष *	53 साल
*आयु में छूट की गणना आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद की जाएगी।				

क) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण चाहते हैं / या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें डीवी के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से मूल रूप में अपेक्षित/सम्बंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अन्यथा, एससी/एसटी/एक्सएसएम/ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर सामान्य (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, यदि पात्र हों। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ख) जिन सेवा कर्मियों को 12/08/2026 को या उससे पहले सैन्य से निवृत्ति की संभावना है, वे पूर्व सैनिक के रूप में इस रोजगार नोटिस के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
ग) यदि उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र हैं, तो उन्हें उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वे पात्र हैं (संचयी नहीं)।
घ) यूआर रिक्तियों के तहत आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।

4.3 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए)

आयु समूह (वर्षों में): **18 - 45** वर्ष			
जन्म तिथि की अधिकतम सीमा (उल्लेखित तिथि से पहले नहीं)			जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा (उल्लेखित तिथि के बाद नहीं)
सभी उम्मीदवार	यूआर और ईडब्ल्यूएस	एससी और एसटी	01.08.2007
	01.08.1980	01.08.1975	

5.0 भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार

भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने कोंकण रेलवे मार्ग पर रोहा (महाराष्ट्र) से ठोकुर (कर्नाटक) के बीच कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अपनी जमीन दी है, यानी जिसकी भूमि कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, (भूमि का प्रतिशत कितना भी अधिग्रहित किया गया हो) ऐसे व्यक्ति स्वयं उसका जीवनसाथी (पत्नी/पति), बेटा, बेटी, पोता, पोती ही पात्र हैं।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, अब भूमि अधिग्रहित व्यक्ति के मातृ पक्ष की बेटी/पोती/पोता भी भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

कोंकण रेलवे की नीति प्रति अधिग्रहण केवल एक सदस्य को भर्ती करने की है, जिनकी भूमि कोंकण रेलवे (जनरल और ओबीसी-एनसीएल) द्वारा अधिग्रहित की गई है। हालाँकि, यह शर्त एससी/एसटी उम्मीदवारों पर लागू नहीं है। (उम्मीदवारों को कोंकण रेलवे की संशोधित भर्ती नीति दिनांक 16/03/2018, 29/08/2019 और 02/09/2020 को पढ़ना चाहिए, जो कोंकण रेलवे की वेबसाइट www.konkanrailway.com लिंक → विभाग - → कार्मिक - → भर्ती नीति) पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा वे भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार, जिनके रिश्तेदार / एक ही भूमि सर्वेक्षण संख्या के संयुक्त मालिक पहले से ही कोंकण रेलवे में भर्ती हो चुके हैं, उसी भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहित हुए उम्मीदवार के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं।

6.0 सीधा आरक्षण (vertical reservation):

6.1 यह अधिसूचना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और मौजूदा नियमों के तहत सीधा आरक्षण प्रदान करती है। वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी और एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं

6.2 समुदाय का विचार किए बिना सभी उम्मीदवारों का सामान्य यानी अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, एससी, एसटी) के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

6.3 इसलिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हैं, वे यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें परीक्षा के किसी भी चरण में आयु, योग्यता या अंक आदि में किसी छूट/रियायत के बिना सामान्य (गैर-आरक्षित) उम्मीदवारों के रूप में स्पर्धा करनी होगी। उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को दर्शाने की सलाह दी जाती है। ओबीसी-एनसीएल के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। इसलिए, ओबीसी के रूप में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।

6.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-IV (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक-VII (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

6.5 महत्वपूर्ण**:** इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.6 ईडब्ल्यूएस **(**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**)** आरक्षण**:**

ऐसे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये) रुपये से कम है उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में ग्राह्य माना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही पारिवारिक आय कुछ भी हो:

6.6.1 : 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
6.6.2 : 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
6.6.3 : अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
6.6.4 : अधिसूचित नगर पालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व जांच लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में स्थित संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुलग्नक VII में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उपविभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
ग) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
घ) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य इत्यादि विवरण भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) के तहत विचार किया जाएगा।) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ।

7.0 HORIZONTAL RESERVATION समस्तरीय आरक्षण

7.1 यह अधिसूचना भूत पूर्व सैनिकों (Ex.SM) के लिए उनके सामाजिक समुदाय का विचार किये बिना क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान करती है।

7.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूत पूर्व सैनिकों (Ex.SM) के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं|

7.3 भूत पूर्व (Ex.SM) उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

8.0 EX-SERVICEMEN: भूतपूर्व सैनिक

8.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर (चाहे एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल में सेवा की हो।

और

क) जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो, ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या मुक्त किया गया हो; (या)

ख) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; (या)

ग) जिसे संस्थान में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

घ) जिसे अनुबंध की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उसके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (या)

ड) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो (या)

च) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)

छ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

ज) चिकिस्ता आधार पर सेवा से मुक्त किये गए पूर्व - रंगरूट, जिन्हे दिनांक 01.02.2006 से चिकिस्ता अक्षमता पेंशन प्रदान की गयी है|

8.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, सेवा कार्य की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा नेके पात्र हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जबतक कि वे संघ के सशत्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।

8.3 तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक, जिन्हें इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर (अर्थात, अधिसूचना की तिथि के अनुसार --2025 या उससे पहले) सेवामुक्त किया जाना है, वे भूत पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किये गए पदों, दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस अधिसूचना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात, अधिसूचना की तिथि के अनुसार 2024) के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

8.4.पूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में कार्यरत है, पूर्व सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद में, वे केवल केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीद्वारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8.5 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के तहत आवेदन करता है, तो वह किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्त की पूर्व सैनिको को किसी सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने सम्बंधित नियोक्ता के सम्मुख इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (--) सहित इस घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

9.0 शैक्षणिक योग्यता

(a) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) देखें।

(b) निर्धारित शैक्षिक योग्यता की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले और/या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

10.0. HOW TO APPLY **आवेदन कैसे करें**

Preference of Post: **पद के लिए प्राथमिकता**:

पीएमएल-1 में विविध पदों, उनके विवरण और अन्य आवश्यकताएँ इस अधिसूचना के पैरा (2) और (3) में दर्शाया गया हैं। उम्मीदवारों को अपनी पद-वार प्राथमिकता बहुत सावधानी से बतानी होगी। ऑनलाइन आवेदन में एक बार चुने गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद (पदों) के लिए विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें। कोंकण रेलवे चयनित उम्मीदवार को योग्यता, रिक्ति स्थिति और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में योग्यता के आधार पर उम्मीदवार की प्राथमिकता के अनुसार केवल एक पद आबंटित करेगा।

नोट: यदि सूचीबद्ध उम्मीदवार आबंटित पद के लिए अनिच्छा/मना करता है, तो ऐसे उम्मीदवार पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा और इस अधिसूचना के लिए ऐसे उम्मीदवार को कोई वैकल्पिक पद आबंटित नहीं दिया जाएगा।

ए) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल कोंकण रेलवे की आधिकृत वेबसाइट यानी www.konkanrailway.com पर जाएं और फर्जी वेबसाइटों और नौकरी रैकेटर्स के बारे में बहुत सावधान रहें।

बी) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें।

सी) जो उम्मीदवार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं,वे अपनी प्राथमिकता के क्रम में एकल आवेदन में एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं,जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं। उम्मीदवारों द्वारा सीबीटी परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन भरते समय करना है। किसी उम्मीदवार द्वारा इस अधिसूचना के तहत एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप सभी आवेदनों को अस्वीकार किए जाएंगे और इस अधिसूचना की चयन प्रक्रिया से अयोग्य और वंचित किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क और भुगतान के तरीके के बारे में विवरण के लिए, उम्मीदवारों को इस अधिसूचना पैरा क्रमांक 16 और 17 देखने की सलाह दी जाती है।

डी) सीबीटी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही मानी जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है,तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

ई) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन भरने से पहले अधिसूचना में विस्तृत सभी जानकारी और निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें और कोंकण रेलवे की अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करे। आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अधिसूचना की सभी जानकारी ठीक से समझें ।

एफ) उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत ईमेल आईडी वैध और सक्रिय होनी चाहिए और उन्हें भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि कोंकण रेलवे भर्ती पूरी तरह से समाप्त होने तक भर्ती संबंधी सभी पत्राचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजेगा। कोंकण रेलवे किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

जी) उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि केवल मैट्रिक/एसएसएलसी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज हो उसी तरह दर्ज करनी चाहिए।

एच) नाम परिवर्तन के मामलों में, उम्मीदवारों को अपना परिवर्तित नाम केवल ऑनलाइन आवेदन में ही अंकित करना चाहिए। हालाँकि, अन्य विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि (या) ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आई) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति तैयार रखनी चाहिए:

i) हाल हि में लिया गया जेपीईजी फोटो (आकार 80 से 100 केबी) स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (सिधे सफ़ेद बैकग्राउंड पर) - काले चश्मे और / या टोपी के बिना।

नोट: भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही फोटो की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।

- उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG इमेज (साइज 80 से 100 केबी)
- एससी/एसटी प्रमाण- पत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (200 केबी से 1 एमबी तक);
- "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" के लिए हलफनामा, जैसा भी मामला हो, पीडीएफ प्रारूप में (200 केबी से 1 एमबी तक);
- एसएलएओ द्वारा जारी भूमि अधिग्रहित प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, अनुलग्नक-I के रूप में पीडीएफ प्रारूप में (200 केबी से 1 एमबी तक);
- तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, जिसमें भूमि अधिग्रहित की कुल भूमि के संबंध में खोई गई भूमि का प्रतिशत दर्शाया गया हो - अनुलग्नक-II के अनुसार (सभी सर्वेक्षण संख्याओं सहित)। एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाण पत्रों पर विवरण पीडीएफ प्रारूप में मेल खाना चाहिए (200 केबी से 1 एमबी तक);
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों के मामले में वैध आय प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, अनुलग्नक-V के रूप में पीडीएफ प्रारूप में (200 केबी से 1 एमबी तक)

जे) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना के बारे में किसी भी बदलाव के बारे में अद्ययावत जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार कोंकण रेलवे की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

के) वैध दस्तावेजों के साथ यह साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा जमा की गई सभी जानकारी सही है।

एल) पंजीकरण प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन भरना: उम्मीदवारों को सबसे पहले कोंकण रेलवे की अधिकृत वेबसाइट www.konkanrailway.com पर जाकर अपना नाम पंजीकृत करना होगा। सफल पंजीकरण पर, एक पंजीकरण क्रमांक तैयार होगा। यह पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड के साथ आवेदन करने के लिए एक लिंक उम्मीदवारों के पंजीकृत ई-मेल पर भेजा जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र तक पहुँच सकते है|

एम) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की एक मुद्रित प्रति अपने पास रखें। हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को आवेदन या किसी दस्तावेज़ की कोई हार्ड या सॉफ्ट कॉपी कोंकण रेलवे को नहीं भेजनी चाहिए। इसे केवल दस्तावेज सत्यापन के समय ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एन) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण क्रमांक नोट कर लें और सुरक्षित रखें।

अंतिम समय में देरी होने से बचने के लिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें क्योंकि अंतिम समय में इंटरनेट या वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/विफलता की संभावना हो सकती है।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय इंटरनेट समस्या के कारण भुगतान के लेन-देन और आवेदन जमा करने में किसी भी विफलता के लिए कोंकण रेलवे जिम्मेदार नहीं है।

नोट: ऑनलाइन आवेदन दर्ज करते समय किसी भी आवेदन संबंधी कठिनाइयों/प्रश्नों के लिए कृपया रिक्रूटमेंट सेल हेल्प डेस्क मेल आईडी- "रिक्रूटमेंट सेल हेल्प डेस्क" helpdskrect cell@krcl.co.in पर मेल करें। केवल आवेदन संबंधी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा और उम्मीदवारों की मेल आईडी पर मेल किया जाएगा। उपरोक्त हेल्प डेस्क मेल आईडी में किसी भी व्यक्तिगत शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। हेल्प डेस्क मेल आईडी केवल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक सक्रिय रहेगी।

11.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

ऑनलाइन आवेदन अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं:

- ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, टोपी के साथ फोटो या चश्मा/गहरा चश्मा पहने हुए फोटो के कारण अमान्य। ऐसी तस्वीरें जो विकृत हों, आकार छोटा, पूरा शरीर, चेहरे का केवल एक तरफ का दृश्य, पहचान में न आने वाली तस्वीरें, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, ग्रुप फोटो और बिना फोटो के ऑनलाइन आवेदन, कैपिटल लेटर में उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

- कोई अन्य अनियमितता जो कोंकण रेलवे द्वारा देखी गई और अमान्य मानी गई हो।

- यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर अस्वीकृति के कारण के साथ अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है। उम्मीदवार को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

- रेलवे या पीएसयू सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि के दौरान लोगों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे कोंकण रेलवे को आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि कोंकण रेलवे द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने के लिए कोई पत्राचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

12.0 भर्ती प्रक्रिया

12.1 पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी के बाद दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।

सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के पांच गुना के बराबर उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी और डीवी में अर्हता प्राप्त करने वाले अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी योग्यता मापन का साधन है ।

सीबीटी और अन्य अतिरिक्त गतिविधि के लिए तिथि, समय और स्थान, जैसा लागू हो, कोंकण रेलवे द्वारा तय किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी संशोधन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीबीटी शहर: आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी तीन टेस्ट शहर चुन सकता है। उपलब्धता के आधार पर तीन पसंदीदा टेस्ट शहरों में से एक आवंटित किया जाएगा। दुर्लभ मामले में, यदि किसी आवेदक को पसंदीदा टेस्ट शहरों में से कोई भी आवंटित नहीं किया जाता है, तो आवेदक को पास के उपलब्ध टेस्ट शहर में आवंटित किया जाएगा।

12.2 सीबीटी : सीबीटी परीक्षाएं सम्भवता 2025 के सितम्बर महीने में निर्धारित हैं।

सीबीटी एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है और सीबीटी के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों की योग्यता के अनुरूप होगा।

निगेटिव मार्किग : सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिया जाएगा।

12.3 प्रतिबंधित वस्तुएँ : उम्मीदवार संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ), चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट / पर्स, धातु के वस्त्र आदि जैसी प्रतिबंधित वस्तुएँ और पेन/पेंसिल जैसी किसी भी स्टेशनरी वस्तु को परीक्षा के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अयोग्यता के अलावा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोंकण रेलवे की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं। सीबीटी स्थल पर लाई गई ऐसी किसी भी वस्तु के नुकसान के लिए कोंकण रेलवे प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

12.4 सीबीटी**-** उत्तिर्ण होने के अंक

भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार होगा।

पद	यूआर और ईडब्ल्यूएस	एससी और एसटी
पूर्ववर्ती ग्रुप**-**डी **(**पीएमएल**-1)** ट्रैक मेंटेनर **IV** और पॉइंट्स मैन	40%	30%

नोट**:** ऊपर उल्लिखित न्यूनतम योग्यता अंक हैं। यदि आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो कट-ऑफ योग्यता अंकों से अधिक हो सकता है।

12.5 सीबीटी- पैटर्न और सिलेबस

सीबीटी पैटर्न - सीबीटी 5 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कोंकणी और कन्नड़) में होगी। उम्मीदवार को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।

नोट**:** विभिन्न संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में**,** अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

12.5.1 ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्स मैन के लिए अनुभाग वार बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की संख्या और अंक नीचे दिए गए हैं।

परीक्षा अवधि मिनटों में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)			प्रश्नों की कुल संख्या
	बेसिक विज्ञान	बेसिक गणित	सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले	
90	20	30	50	100

उपरोक्त तालिकाओं में दिया गया अनुभागवार वितरण केवल सांकेतिक है। वास्तविक प्रश्नपत्रों में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

12.6 प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है।:

बेसिक विज्ञान **:** सातवीं कक्षा के स्तर का भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान ।
बेसिक गणित **:** सातवीं कक्षा के स्तर के संख्या प्रणाली, दशमलव, फ्रेक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो और प्रमोशन, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, टाइम और वर्क, समय और दूरी,सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, प्राथमिक बीजगणित, जिओमेट्री और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि ।

सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले **:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय।

उपर्युक्त सूची संपूर्ण नहीं है और अन्य संबंधित विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

12.7 उत्तर कुंजी पर आपत्ति: सीबीटी के बाद कोंकण रेलवे की वेबसाइट (www.konkanrailway.com) पर एक लिंक दिया जाएगा जिससे सीबीटी में शामिल हुए उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र, जवाब और उत्तर कुंजी देख सकेंगे। इन विवरणों को देखने के बाद, प्रकाशित प्रश्नों, विकल्पों और कुंजियों के बारे में आपत्तियां, यदि कोई हों, उम्मीदवार उठा सकते हैं, जिसके लिए कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर एक शेड्यूल प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रत्येक आपत्ति के लिए 59 रुपये (50 रुपये का लागू शुल्क + जीएसटी @ 18%) + गेटवे शुल्क का भुगतान, यदि कोई हो, का भुगतान करके अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यदि आपत्ति सही है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के खिलाफ भुगतान किया गया शुल्क उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा, जिसमें लागू बैंक शुल्क काट लिया जाएगा।

13.0 अंकों का सामान्यीकरण

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी। सीबीटी के लिए अपनाई जाने वाली सामान्यीकरण योजना निम्नलिखित पैराग्राफ में विस्तृत है।

Normalization mark of j[th] candidate in i[th] session $\widehat{M_{ij}}$ is given by :

$$\widehat{M_{ij}} = \frac{\overline{M}_t^g - M_q^g}{\overline{M_{ti}} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : is the actual marks obtained by the j[th] candidate in i[th] session.

$\overline{M}_t^g$: is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions.

M_q^g : is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions.

$\overline{M_{ti}}$: is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i[th] session or marks of topper if session strength is less than 1000.

M_{iq} : is the sum of the mean marks and standard deviation of the i[th] session.

14.0 शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी):

शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:

पुरुष: एक बार में 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

महिला: एक बार में 3 मिनट 10 सेकंड में 400 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

15.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक:

डीवी (दस्तावेज सत्यापन) के लिए बुलाए गए और शारीरिक क्षमता में पात्र पाए गए उम्मीदवारों को अधिसूचित रिक्तियों की पद सीमा तक अपने अंतिम पैनल में शामिल होने से पहले अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। चिकित्सा परीक्षण का खर्च उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। दृश्य तीक्ष्णता मानक कोंकण रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा फिटनेस के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य स्वास्थ्य	दृष्टि मानक
1	ए-2	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि-6/9, 6/9 बिना चश्मे के। निकट दृष्टि-एसएन:0.6,0.6 और रंग दृष्टि,दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मायोपिक दृष्टि का परीक्षण पास करना होगा
2	ए-3	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि- 6/9, 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 2 डी से अधिक नहीं)। निकट दृष्टि- एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना| रंगीन दृष्टि,दूरबीन दृष्टि,रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।

जिन उम्मीदवारों ने दुर्दम्य त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया कराई है, वे ए-2 और ए-3 के मेडिकल मानक वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं।

चक्कर से पीड़ित अभ्यर्थी - ए-2 और ए-3 में फिट नहीं।

संक्रामक और संक्रामक विकारों, मिर्गी, अस्थमा, ओटोरिया, मानसिक बीमारी, इस्केमिक हृदय रोग, हकलाना, वाल्वुलर रोग, सुनने में परेशानी, उच्च रक्तचाप, मोटापा,खराब गुर्दे की स्थिति आदि वाले उम्मीदवार ए-2 और ए-3 के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त चिकित्सा मानक केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं, संपूर्ण नहीं हैं । चयनित उम्मीदवारों को कोंकण रेलवे चिकित्सा नियमावली के अनुसार एक विस्तृत चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार चयनित पद (पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

16.0 परीक्षा शुल्क

16.1 इस अधिसूचना में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षा के लिए 885/- (लागू शुल्क रु. 750/- + जीएसटी @ 18%, यानी रु. 135/-) + गेटवे शुल्क का भुगतान, यदि कोई हो, तो परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणियों से संबंधित संबंधित उम्मीदवार सीबीटी में शामिल होने पर लागू बैंक शुल्क को काटकर परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

16.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल हैं, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12/08/2025 तक प्राप्त संशोधन/हटाने/शामिल किए जाने के अधीन हैं।

"अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" के लिए शपथ पत्र**:** परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को डीवी (दस्तावेज सत्यापन) के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र (अनुलग्नक- VI के अनुसार) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

16.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 /- रुपये से कम है और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 16.0 के अनुसार) इसके लिए, उनके पास होना चाहिए:

क) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण- पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण- पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य
- राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद रहते हैं।
- देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री ।

(या)

ख) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

ग) सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसकी मूल प्रति भी जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं, और ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

17.0 शुल्क के भुगतान के तरीके

- केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

18.0 परीक्षा शुल्क की वापसी (केवल सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए)

- सीबीटी में उपस्थित होने वाले छूट प्राप्त श्रेणियों के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई) के माध्यम से उनके द्वारा भुगतान किया गया 750/- रुपये का परीक्षा शुल्क बैंक शुल्क काटकर उसी खाते में वापस कर दिया जाएगा, जहां से ऑनलाइन भुगतान किया गया था।
- त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश

क) ई-कॉल लेटर विवरण के बारे में सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल द्वारा संदेश भेजे जाएंगे। पात्र उम्मीदवार सीबीटी/डीवी/पीइटी (जैसा लागू हो) की तारीख से लगभग 10 दिन पहले केआरसीएल वेबसाइट से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

ख) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा|

ग) उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी कोंकण रेलवे द्वारा अंततः स्वीकार कर ली गई है।

घ) उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ड)निःशुल्क यात्रा सुविधा: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में,जिन्होंने निःशुल्क यात्रा अधिकार (स्लीपर क्लास रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपने समुदाय प्रमाण-पत्र का विवरण अपलोड किया है,सीबीटी/पीइटी/डीवी/एमईके लिए ई-कॉल लेटर (जैसा लागू हो) में मुफ्त यात्रा अधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान,इन उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए मूल सामुदायिक प्रमाणपत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

इस यात्रा अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई भी प्रयास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक भी शामिल है।

च) उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (अर्थात् मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उम्मीदवार के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र), सरकारी कर्मचारी, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी पढ़ रहा है), आदि लाना होगा।। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को सीबीटी/डीवी (जैसा लागू हो) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप.

समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामले में, उनकी योग्यता स्थिति उनके आयु के मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, अधिक उम्र के व्यक्ति को उच्च योग्यता दी जाएगी | यदि आयु समान है, तो योग्यता स्थिति तय करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को ध्यान में रखा जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कोंकण रेलवे द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन के साथ-साथ उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है। मेडिकल फिटनेस परीक्षा का खर्च उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है तो कोंकण रेलवे भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में ऐसे किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियों के एक सेट के साथ सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सभी प्रमाण-पत्र या तो अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। जहां प्रमाण-पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत प्रमाण-पत्र पूर्णतया निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

21.0 दस्तावेज़ सत्यापन के समय सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज(जैसा लागू हो)लाने होंगे:

क. भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित अन्य दस्तावेजों, जैसा लागू हो, का प्रस्तुत करना चाहिए

i. अनुलग्नक-I के रूप में एसएलएओ द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति

ii. तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, जिसमें भूमि अधिग्रहण होने वाले की कुल भूमि के संबंध में अधिग्रहित हुई भूमि का प्रतिशत दर्शाया गया है - अनुबंध - II के अनुसार (सभी सर्वेक्षण संख्याओं सहित)। एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाणपत्रों का विवरण मेल खाना चाहिए।

iii. 200/- रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी भूमि अधिग्रहित के साथ संबंध का प्रमाण।

iv. केआरसीएल प्रारूप (अनुलग्नक-III) के अनुसार रु. 200/- के स्टांप पेपर पर यह वचन पत्र कि एकल/संयुक्त भूमि के परिवार/परिवारों में से किसी भी अन्य सदस्य को किसी भी रूप में भूमि अधिग्रहित के आधार पर केआरसीएल में नियुक्त नहीं किया गया है। (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं)।

v. कोंकण रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित भूमि के आरटीसी दस्तावेजों (7/12/फॉर्म संख्या XIV आदि) की सत्यापित फोटोकॉपी। (हाल की तारीख का दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जायेगा)। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि का विवरण और जिसकी भूमि अधिग्रहित हो गयी है उनके के नाम एसएलएओ और तहसीलदार दोनों प्रमाणपत्रों में मेल खा रहे हैं। भूमि अधिग्रहिता की मृत्यु के मामले में (जिसका नाम एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाण पत्र में दर्ज है), कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

ख.जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र। (आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवारों का नाम और पिता/माता का नाम इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा।)

ग. एसएससी/मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र जैसा लागू हो।

घ. आधार कार्ड और पैन कार्ड की दोनों तरफ की फोटो कॉपी।

ड. अनुलग्नक-IV के अनुसार प्रारूप में एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र।

च. अनुलग्नक-V के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आय प्रमाण पत्र।

छ. अनुलग्नक-VI के रूप में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा।

ज. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र अनुलग्नक-VII के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है।

झ. यदि उम्मीदवार रेलवे या पीएसयू सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत कर्मचारी (प्रारंभिक प्रशिक्षण / परिवीक्षा से गुजरने वाले लोगों सहित) है,तो नियुक्ति की तारीख के साथ वर्तमान नियोक्ता से एनओसी देनी चाहिए।

त्र. भूतपूर्व सैनिक के लिए मूल सेवामुक्ति प्रमाण पत्र। सेवारत रक्षा कार्मिक से सेवामुक्ति की संभावित तारीख के साथ एनओसी (यदि लागू हो)

त. नाम के औपचारिक परिवर्तन के मामले में राजपत्र अधिसूचना और/या कोई कानूनी दस्तावेज।

22.0 महत्वपूर्ण निर्देश

- चयनित उम्मीदवारों को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परियोजना स्थान सहित उसके परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी अन्य क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं हैं। उनके पास भारतीय रेलवे के किसी भी क्षेत्र या मंडल या उत्पादन इकाइयों या रेलवे पीएसयू या किसी अन्य रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा।
- भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में एक जैसे होने चाहिए। सीबीटी और डीवी आदि (जैसा लागू हो) के समय अलग-अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- कोंकण रेलवे द्वारा चयन उम्मीदवारों को कोंकण रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।
- चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो वहां प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू स्टायपेंड का भुगतान किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बॉन्ड, नौकरी समझौते को निष्पादित करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण-पत्र के विवरण के अनुसार, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमती उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य नि:शुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास ई-कॉल लेटर का हिस्सा होगा, जब उन्हें चयन के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/डिवी/पीइटी/एमई के लिए बुलाया जाएगा। (जैसा लागू हो)|
- कोंकण रेलवे अधिसूचना के तहत आवश्यकता और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी कारण से अंतिम दिन के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए के कोंकण रेलवे कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। तथापि, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

23.0 प्रतिरूपण/तथ्यों को घिराना - चेतावनी:

i) कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजते हुए, प्रतिरूपण करने का प्रयास करते हुए पाया गया तो उसे कोंकण रेलवे की सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसे कोंकण रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी मुक़दमा भी चलाया जा सकता है।

ii) कोंकण रेलवे को कोई भी गलत जानकारी देने या किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को जान बूझकर छुपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कोंकण रेलवे में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।

iii) पात्रता हासिल करने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सहित विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली / नकली प्रमाण पत्र / दस्तावेज जमा करते पाए जाने पर उम्मीदवार को उस विशेष भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे कोंकण रेलवे द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 वर्ष की अवधि के लिए / जीवन भर के लिए, जैसा उचित समझा जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

iv) उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

24.0 विविध

कोंकण रेलवे किसी भी स्तर पर सभी संबंधितों को इसका कारण बताकर अतिरिक्त सीबीटी/पीईटी/डीवी (जैसा लागू हो) आयोजित करने का अधिकार संरक्षित रखता है। कोंकण रेलवे के पास इस अधिसूचना में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या संपूर्ण भाग को सभी संबंधितों के कारण सूचित करते हुए रद्द करने का अधिकार संरक्षित है।

पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करने, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी/पीईटी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में कोंकण रेलवे का निर्णय, डीवी, एमई, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन,चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि के लिए अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोंकण रेलवे द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस अधिसूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी मुद्दा उच्च न्यायालय मुंबई के कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा।

26.0 चेतावनी

प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक तरीकों के उपयोग से कोंकण रेलवे में नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें। कोंकण रेलवे ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के अनुसार किया जाता है। अनुचित तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसें। कोंकण रेलवे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

()()()()()

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ग्राह्य माना जाएगा

पोस्ट पैरामीटर सारणी (अनुलग्नक-ए)

अनु क्र.	विभाग	पद का नाम	चिकित्सा श्रेणी	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लूबीडी) के लिए उपयुक्त	शैक्षिक मानदंड
1	सिविल इंजीनियरिंग	ट्रैक मेंटेनर-IV	A-3	नहीं	किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास
2	औपरेटिंग	पॉइंट्स मैन	A-2	नहीं	किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास

अनुलग्नक - I

भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार के लिए

कोंकण रेलवे का भूमि अधिग्रहित प्रमाणपत्र

1. भूमि अधिग्रहित धारक का नाम :____

2. यदि संयुक्त रूप से धारित है तो सभी संयुक्त भूमि धारकों के नाम

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

3. पता :____

4. भूमि का विवरण और सर्वेक्षण :

1. गाँव ____________________

2. तालुका ________________

3. ज़िला ____________________

(a) कोंकण रेलवे द्वारा प्रभावित भूमि का कुल क्षेत्रफल ___________________________

(b) कोंकण रेलवे द्वारा अधिग्रहित कुल भूमि : ______________________________

(c) शेष भूमि का क्षेत्रफल : ____________________________________

5. कोंकण रेलवे द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा : रु.____

6. क्या राज्य सरकार ने अधिग्रहित भूमि के बदले में ____________________________________
कोई अन्य लाभ, जैसे कि ज़मीन का एक और टुकड़ा, ____________________________________
आवंटित किया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण बताएँ। ____________________________________

7. भूमि रजिस्टर का संदर्भ : ____
एसएलएओ का रिकॉर्ड

नाम, हस्ताक्षर एवं पदनाम (एसएलएओ द्वारा हस्ताक्षरित)

तारीख :______________________________

जगह :______________________________

उपरोक्त जानकारी कोंकण रेलवे के रिकॉर्ड अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित कि है

अनुलग्नक -II

भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार के लिए
तहसीलदार का प्रमाणपत्र

तारीख:___

जारीकर्ता कार्यालय :____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती____

पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ने____ कोंकण रेलवे परियोजना

के लिए अपनी भूमि खोई है।

विवरण इस प्रकार हैं:

गाँव का नाम /स्थान :____

सर्वे नंबर : ____

भूमि अधिग्रहित का नाम : अधिग्रहण से पहले राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ___________________

संयुक्त भूमिधारकों का नाम: __________________________________(यदि कोई भी)

अधिग्रहण से पूर्व कुल भूमि :______________________(सभी सर्वेक्षण संख्याओं सहित)

भूमि अधिग्रहीत कोंकण रेलवे परियोजना के लिए :____

कुल भूमि शेष : ____

अधिग्रहित भूमि का प्रतिशत: : ____

.

तहसीलदार (मुहर सहित नाम)

अनुलग्नक -III

भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों के लिए (केवल यूआर/ ईडब्ल्यूएस के लिए)

200/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर में वचनपत्र
(वचनपत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए)

श्री/श्रीमती ________________________________ पुत्र, ____________________________________

जो ग्राम _____________ तालुका, ________ जिला, ___________ सर्वेक्षण नंबर __________ में स्थित भूमि के एकमात्र / संयुक्त भूमि स्वामी हैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त एकल / संयुक्त भूमि के परिवार/परिवारों का कोई अन्य सदस्य किसी भी रूप में भूमि खोने के आधार पर कोंकण रेलवे में नियुक्त नहीं है अथवा नियुक्त नहीं किया था। (इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न सर्वेक्षण संख्याओं में मालिकों की भूमि को केवल एकल भूमि माना जाएगा और इससे कोंकण रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि को एकल भूमि अधिग्रहण माना जाएगा)।

उपरोक्त जानकारी सत्य है और मेरी जानकारी के अनुसार उचित है। यदि उपरोक्त कथन में कोई विसंगति/अस्पष्टता पाई जाती है, तो अधिसूचना संख्या CO/P-R/04/2025 दिनांक 04/07/2025 के अंतर्गत आवेदित पदों के लिए मेरी उम्मीदवारी किसी भी दृष्टिकोण से रद्द मानी जा सकती है।

दिनांक: _________________________ उम्मीदवार के हस्ताक्षर: _____________

स्थान: ____________________________________ उम्मीदवार का नाम: _______________

अनुलग्नक -IV

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी ____

पुत्र/पुत्री, __________ गाँव/कस्बा __________./जिला/संभाग*, _______________ राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र की जाति*/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश देना, 1950.
* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1950.
* संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ प्रदेशों) (भाग सी राज्य) आदेश देना, 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ प्रदेशों) (भाग सी राज्य) आदेश देना, 1951;

[जैसा संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश, 1956, बंबई पुनर्निर्माण कार्य, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) कार्य, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976.]

* संविधान (जम्मू और कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956.
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप)* अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1959, जैसा संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) कार्य, 1976
* संविधान (दादरा और नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश देना, 1962.
* संविधान (दादरा और नगर हवेली)* अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1962.
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1964.
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1967.
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1968.
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1968.
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1970.
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश देना, 1989.
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) कार्य, 1990.
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश कार्य, 1991.
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश कार्य, 1996.
* संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) कार्य, 2002.
* संविधान (अनुसूचित) जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) कार्य, 2002.
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) कार्य, 2002.

2. यह नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य में प्रवास कर रहे हैं।

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। जारी किए गए को श्री/श्रीमती ______________________________________पिता/माता ____________________________ श्री/श्रीमती/ ______________________________________कुमारी गांव शहर ____________________________ ___________________में /जिला/मंडल _का राज्य/संघ इलाका ___________________________को जाति किसके अंतर्गत आता है _______________________/जनजाति जिसे

स्टेशन/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है* जारी किए गए द्वारा दिनांकित

____

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और /या* उसका/उसकी* परिवार आमतौर पर निवास करते हैं में गांव शहर*________जिला/मंडल* का राज्य/संघ इलाका * का ____।

स्थान ______________________________हस्ताक्षर __________________________________

दिनांक ______________________ _   पदनाम   __________________________________

(की मुहर के साथ) कार्यालय)

राज्य/संघ इलाका __________________________________

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।
@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें
% वह पैराग्राफ हटाएँ, जो लागू न हो

टिप्पणी: (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास करते हैं' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

निम्नलिखित अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामन्याता रहता है।
5. केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र,जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह)।

अनुलग्नक -V

कोंकण रेलवे भर्ती हेतु परीक्षा शुल्क माफ़ी हेतु आय प्रमाण पत्र

1. उम्मीदवार का नाम:

2. पिता/पति का नाम:

3. आयु:

4. आवासीय पता:

5. वार्षिक पारिवारिक आय:
   (कार्यों और आंकड़ों में)

6. जारी करने की तिथि:

7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर:

8. जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

(जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम)

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से तात्पर्य उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- प्रति वर्ष से कम है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित प्राधिकारी आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
(ii) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद।
(iii) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र।
(iv) देश में कहीं से भी रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री।
(v) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, जहाँ ये सांसद सामन्याता रहते हैं।

अनुलग्नक - VI

कोंकण रेलवे भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ी हेतु अल्पसंख्यक उम्मीदवारोंका 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्व- घोषणा

(अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र)

घोषणा

मैं, श्री ____ का पुत्र/पुत्री ____________________________

गाँव/कस्बा/शहर/____ जिला _______________ में निवास

करता/करती हूँ एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित समुदाय से हूँ ____________________________

[केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करें, अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी]

दिनांक: ______________________________ उम्मीदवार के हस्ताक्षर ____________________________

स्थान: ______________________________ उम्मीदवार का नाम ______________________________

नोट : दस्तावेज़ सत्यापन के समय, परीक्षा शुल्क माफ़ी का दावा करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। अर्थात मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जोरास्ट्रियन (पारसी)।

अनुलग्नक-VII

सरकार ……………………

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या ………… दिनांक: ………………

वर्ष ……………… के लिए वैध

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ……………………………………………..पुत्र/पुत्री/पत्नी, …………………………..गाँव/गली …………………………..डाकघर …………………………….जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र …………………….पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनकी तस्वीर नीचे प्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ………………… के लिए 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

I 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
II 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ……………. उस जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर ………………..
नाम ………………………
पदनाम …………………

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।
**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके 18 वर्ष से कम आयु के माता-पिता और भाई-बहन, साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।
***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को साथ जोड़ दिया गया है।